

कार्यवाही विवरण

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 99 वीं बैठक दिनांक 02.08.2010 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	99.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 98 वीं बैठक दिनांक 09.07.2010 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) 98 वीं बैठक दिनांक 09.07.2010 को सम्पन्न हुई, की क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	-
2.	99.2	भूखण्ड संख्या 7/सी सेक्टर नं. 7 विधाघर नगर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
3.	99.3	भूखण्ड संख्या एस-30, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर के आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री संजय पहाड़िया को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रश्नगत भूखण्ड पर अधिकतम एफएआर 1.2 अनुज्ञेय है अतः एफएआर अनुज्ञेय सीमा में संशोधन करवाते हुए मानचित्र जारी किये जावे। 2. अपेक्षित पार्किंग 12 कार व 12 डुपहिया वाहन के एवज में 4 कार व बेसमेंट में डुपहिया वाहन का पार्किंग क्षेत्र रखा गया है। आवेदक का प्रस्ताव स्वतंत्र आवासीय भवन	

			<p>का दिया गया है अतः प्रस्तावित पार्किंग को अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>3. वर्षा जल संग्रहण व सौर ऊर्जा उपकरण का प्रस्ताव मानचित्रों में करवाया जावे।</p> <p>4. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
4.	99.4	<p>भूखण्ड संख्या जी-17, श्याम नगर विस्तार, जयपुर के प्रस्तावित होटल भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री गुरुचरण सिंह व वास्तुविद श्री नवीन कुमार जैन को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. भवन विनियम 2010 के विनियम 8.3 की तालिका 4 की टिप्पणी (vi) के अनुसार अनुसूची 3 के बाहर स्थित भूखण्डों पर होटल निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 750.0 वर्ग मीटर है जबकि प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 580.79 वर्ग मीटर है, जविप्रा द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग उपान्तरण/रूपान्तरण होटल प्रयोजनार्थ किया जा चुका है तथा इस प्रकरण में जविप्रा द्वारा स्वीकारोक्ति (Commitment) प्रदान की जा चुकी है। अतः होटल का प्रस्ताव अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
5.	99.5	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 5</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ</p>

से 10 वीर विहार, क्वीन्स रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक सह आवासीय (मिश्रित उपयोग) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री मेहुल माहेश्वरी को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. पुनर्गठित भूखण्ड वीर विहार योजना के आवासीय भूखण्ड था, जिस पर एफएआर अधिकतम 1.2 देय है। एफएआर 1.2 से अधिक प्रस्तावित क्षेत्र हेतु नियमानुसार बैटरमेंट लेवी लेय है। भूखण्ड का भूमि उपान्तरण/रूपान्तरण हो चुका है। अतः एफएआर 1.2 से अधिक प्रस्तावित एफएआर की बैटरमेंट लेवी ली जावे।
2. आवेदित प्रस्ताव में टावरनुमा भवन का प्रस्ताव है भवन विनियम 2010 की तालिका 7 (i) के अनुसार ऊपरी मंजिल पर छोड़े गये सैटबैक क्षेत्र को किसी फ्लेट्स अथवा कमरे से पहुँच प्राप्त नहीं होनी चाहिए (Non Accessible), चतुर्थ फ्लोर पर प्रस्तावित फ्लेट्स अथवा कमरों से पहुँच नहीं रखी गई है लेकिन ऊपरी तलों पर चारों तरफ ओपन बालकनी का प्रस्ताव है। अतः वर्तमान प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए चतुर्थ फ्लोर के ऊपरी तलों पर चारों तरफ ओपन बालकनी को हटवाते हुए मानचित्र में संशोधन करवाया जावे।
3. टावरनुमा भवन प्रस्तावित किये जाने पर ऊपरी तलों पर सैटबैक तालिका "7" के प्रावधानानुसार रखे जाने आवश्यक हैं तदानुसार एजेण्डा नोट में सामने-II, पार्श्व-I व पार्श्व-II में 11.0 मीटर सैटबैक ऊँचाई को दृष्टिगत रखते हुए अंकित किये गये हैं जबकि तृतीय तल तक सैटबैक स्थल मानचित्र में दर्शितानुसार 6.0 मीटर ही अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में

			<p>सैटबैक नियमानुसार प्रस्तावित किये हैं।</p> <p>4. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
6.	99.6	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या डी-222 व डी-223 हनुमान नगर "डी" वैशाली नगर जयपुर में प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री मेहुल माहेश्वरी को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
7.	99.7	<p>खसरा नम्बर 1, 4/1, 5 से 15, 22, ग्राम जीरोता एवं खसरा नम्बर 399 से 407 व 411 ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री अनुप सिंह को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. ऑडिटोरियम के भूतल के एक बैंक काउण्टर 61'-3" X 46'-6" का प्रस्ताव रखा गया है। जिसे अनुज्ञेय नहीं किया जावे।</p> <p>2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।</p> <p>3. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया</p>

			<p>जावे।</p> <p>4. सकल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 69666.05 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भवन में आडिटोरियम का प्रस्ताव है। अतः जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2010 में उनके प्रकरण में समग्र प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाकर 15.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी किये जाने, एवं अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शेष ऊँचाई के मानचित्र जारी किये जाने का निवेदन को स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
8.	99.8	<p>भूखण्ड संख्या सी-6 से सी-11, महल योजना जगतपुरा, जयपुर में निर्मित भवन व प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक श्री गोविन्द दासा व वास्तुविद श्री शरद मैथिल को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. प्रश्नगत भूखण्ड पर 35 प्रतिशत अधिकतम आच्छादन अनुज्ञेय है, प्रस्तावित मानचित्रों में भूतल पर आच्छादन 47.49 प्रतिशत है, प्रथम तल पर अधिकतम आच्छादन 38.37 प्रतिशत का प्रस्ताव दिया गया है। भवन विनियम 2010 के विनियम 6.7 के अनुसार किसी प्रकार की शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः संस्था द्वारा प्रस्तावित अधिक आच्छादन के लिए राज्य सरकार से</p>	

मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

2. प्रस्तावित भवन मानचित्रों में सर्विसेज हेतु क्षेत्रफल कुल एफएआर 7.8 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है जबकि भवन विनियमानुसार कुल एफएआर का 7.0 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुज्ञेय है अतः वास्तुविद के द्वारा इस क्रम में अपनी सहमति भी व्यक्त की गई है कि यह मानचित्र में संशोधन कर सर्विसेज का क्षेत्रफल 7 प्रतिशत कर देगा। अतः मानचित्रों में संशोधन करवाया जावे।
3. सामने-II सैटबैक क्षेत्र में मौके पर डीजी सैट, पैनल रूम, ट्रान्सफार्मर, गैस बैंक, गर्म पानी का बायलर, कार वाश आदि निर्मित किये हुए हैं एवं सामने-I सैटबैक क्षेत्र में पम्प रूम 3.34X7.13 मीटर निर्मित है। पूर्व में बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 05.06.2009 में भी इन सर्विसेज को अन्यत्र भवन सीमा में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया था। तदानुसार पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार इस सर्विसेज को भवन सीमा में अन्यत्र स्थापित किया जावे।
4. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।
5. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।
6. सकल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 57336.98 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।

			<p>7. संस्था द्वारा मंदिर का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
9.	99.9	<p>खसरा संख्या 31, 49/459, 51, 72, 74, 75, 77, 187, 188/458, 63/457, ग्राम: चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, तहसील-सांगानेर में प्रस्तावित जे.कं. लक्ष्मीपत युनिवर्सिटी के संस्थागत भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूके पर बिना अनुमति ब्लॉक 1, 2, 3, 30 में ग्राउण्ड+2 मंजिल एवं ब्लॉक 6, 24, 29 में ग्राउण्ड फ्लोर की छत डाली जा चुकी है तथा ब्लॉक 24, 29 में प्रथम तल के कॉलम्स का छत हाईट तक निर्माण कर लिया गया है। अतः बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. सकल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000वर्ग मीटर से अधिक 23928.99 वर्ग मीटर है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
10.	99.10	<p>भूखण्ड संख्या 54, 55, 56,</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ</p>

		ग्राम घिमनपुरा तहसील आमेर में प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री मेहुल माहेश्वरी को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूखण्ड के पीछे के भाग से 11 के.वी. के हाईटेंशन लाईन गुजरती है जिसे आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च से हटवाये जाने एवं निर्माण कार्य हाईटेंशन लाईन हटने के पश्चात् किये जाने बाबत अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. स्टिल्ट पलोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
11.	99.11	भूखण्ड संख्या बी-13, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर के निर्मित व्यावसायिक भवन के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
12.	99.12	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या बी-1 व बी-2, गोकुल वाटिका, जवाहर सर्किल, जयपुर के प्रस्तावित	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री पुष्पेन्द्र व वास्तुविद श्री अभिनव मुदगल को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात्

	<p>अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा सैटबैक क्षेत्र में कवर्ड आच्छादन का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें भूमि तल से ऊँचाई लगभग 3.3 मीटर रखी गई है। भवन विनियम 2010 विनियम 9.12(ग) के अनुसार कवर्ड आच्छादन भूमि तल से 3.5 मीटर से ऊँपर देय होगा, उल्लेखित है, लेकिन 3.6 मीटर चौड़ा कोरिडोर अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु कवर्ड आच्छादन के उपरान्त प्रस्तावित किया गया है। अतः वर्तमान भवन विनियम अनुसार कवर्ड आच्छादन 3.5 मीटर ऊँचाई पर रखते हुए मानचित्रों में संशोधन करवाया जावे। 2. स्टिन्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
13.	<p>99.13 खसरा नम्बर 8 व 9, ग्राम बल्लुपुरा, बुटिक होटलम इण्डिया प्रा.लि. के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि श्री सब्बरवाल व आवेदक श्री संदीप कत्याल को सुना जाकर विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र भवन विनियम 2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये है। पूर्व में 	

मानचित्रों का अनुमोदन भवन विनियम 2000 के अनुसार किया गया था। वर्तमान में मानचित्रों का परीक्षण भवन विनियम 2010 के अनुसार किया गया है। जिसे अनुज्ञेय किया जावे।

2. सकल आच्छादित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 22,172.0 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।

3. पब्लिक एरिया (विला) तथा होटल में एक अण्डर ग्राउण्ड सर्विस टनल का निर्माण किया जा चुका है जिसका कुल क्षेत्रफल 3050 वर्ग मीटर है व टनल की चौड़ाई 3.3 मीटर से 4.6 मीटर तक है। पूर्व में 88वीं बैठक दिनांक 30.11.2009 में गंगा बैंक रिसोर्ट प्रकरण में उक्त टनल क्षेत्र को विशेष प्रकृति के भवन में सुविधा हेतु आवश्यक मानते हुए एफएआर की गणना से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्नगत प्रकरण की गणना में टनल को एफएआर में शामिल नहीं किया गया। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि यह टनल विभिन्न सर्विसेज के लिए रखा गया है जिनका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा अतः निर्णय लिया गया कि आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि इन सर्विसेज टनल को सर्विसेज उपयोग हेतु ही रखा जावेगा तथा इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा।


4. मौके पर तीन पोर्च अलग-अलग ब्लॉक में प्रस्तावित हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 449.38 वर्ग मीटर है। भवन विनियम 2010 के

विनयम 9.11.1 में सभी प्रकार के भवनों में जहाँ 1 से अधिक बिल्डिंग टॉवर प्रस्तावित हो यहां प्रत्येक टावर में एक पोर्च देय होगा, प्रावधानित है। अतः अनुज्ञेय किया जावे।

5. मौके पर रैम्प आदि के नीचे के स्थान पर अर्थ फिलिंग कर दिवार से बन्द कर दिया गया है, जिससे अन्दर अर्थ फिलिंग की स्थिति को देखा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की अर्थ फिलिंग का कुल क्षेत्रफल 3384 वर्ग मीटर है जिसका वर्तमान में कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि जिन क्षेत्रों को अर्थ फिलिंग कर बंद किया गया है उसे भविष्य में नहीं खोला जावेगा तथा इसका कोई भी अन्य उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा।
6. प्रार्थी द्वारा पश्चिम की ओर के पार्श्व सैटबैक में बेसमेंट में आंशिक निर्माण योग्य रूम का (एक तिकोना भाग), जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.30 वर्ग मीटर है, निर्मित किया हुआ है। जिससे पार्श्व सैटबैक 15.0 मीटर के स्थान पर केवल 14.45 मीटर ही उपलब्ध है। अतः निर्णय लिया गया कि जो भाग सैटबैक क्षेत्र के भीतर निर्मित किया गया है उसे हटवाया जावे।
7. मौके पर गार्ड रूम 6.25 वर्ग मीटर के स्थान पर 55.75 वर्ग मीटर बना हुआ है। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष अवगत करवाया गया कि यह क्षेत्र गार्ड रूम के अतिरिक्त लगेज चैकिंग यूनिट, वाहन चैकिंग व कई गार्ड्स के लिए प्रस्तावित किया गया है। अतः समिति द्वारा इसे अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

			<p>8. मीके पर पार्श्व सैटबैक में अस्थाई Quarters का लगभग 400 वर्ग मीटर का निर्माण कर रखा है, जिसके लिए प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अस्थाई Quarters हटा दिए जाएंगे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
14.	99.14	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या जी-3, जी-4, जी-13 एवं जी-14 नन्दन विहार, ग्राम महल, सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 सचिव
 भवन मानचित्र समिति (बीपी),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 99 वीं बैठक दिनांक 02.08.2010 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री सुधांशु पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्रीमति दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं अवाप्ति), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 5. श्रीमती शुधि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन व एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 6. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 7. श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

8. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
14. श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया, विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक (बीपीसी-बीपी) जविप्रा, जयपुर

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी-1355

दिनांक : 05/8/2010

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।